कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **बांसवाड़ा में कार्यालय उपखंड अधिकारी का वरिष्ठ सहायक 3 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *12 जून, सोमवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर बांसवाड़ा इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये मुस्तफा शेख वरिष्ठ सहायक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, झड़स तहसील अरथूना, जिला बांसवाड़ा हाल कार्यालय उपखंड अधिकारी, गढ़ी जिला बांसवाड़ा को परिवादी से **3 हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की बांसवाड़ा इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी निलम्बित अवधि का निर्वाह भत्ता बिल व एरियर बिल बनाने की एवज में मुस्तफा शेख वरिष्ठ सहायक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, झड़स तहसील अरथूना, जिला बांसवाड़ा हाल कार्यालय उपखंड अधिकारी, गढ़ी जिला बांसवाड़ा द्वारा **5 हजार रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी के उदयपुर के **उपमहानिरीक्षक पुलिस श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल** के सुपरवीजन में एसीबी की बांसवाड़ा इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री माधोसिंह** द्वारा शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये मुस्तफा शेख पुत्र श्री ईब्राहिम शेख निवासी बोरी रोड़, गढ़ी तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा हाल वरिष्ठ सहायक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, झड़स तहसील अरथूना, जिला बांसवाड़ा हाल कार्यालय उपखंड अधिकारी, गढ़ी जिला बांसवाड़ा को परिवादी से **3 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।